न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 11 / 2017–18,

प्रथम पक्षः– (1) रेणु कुमारी पति– भूषण गुप्ता,
साकिन+पोस्ट– शाहपुर, थाना– सोनवर्षा राज,
जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) बिहार सरकार।

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ अपीलार्थी के ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उनके ओर से यह अपील आवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा वाद संख्या–89 / 11–12 के अन्तर्गत दिनांक–28.02.2012 को पारित आदेश से व्यथित होकर दाखिल किया गया है। उक्त आदेश में निम्न न्यायालय ने गलत व अप्रमाणिक तथ्यों के आधार पर एकतरफा निर्णय करते हुए अपीलार्थी को आँगनवाड़ी सेविका के पद से चयन मुक्त कर दिया गया। तत्कालीन आई०सी०डी०एस० के प्रावधनों के मुताबिक उक्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश के विरूद्ध अपीलवाद की सुनवाई क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या 04 / 12 के अन्तर्गत किया गया। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सुनवाई के पश्चात् दिनांक 14.03.2014 को अपीलवाद को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा एवं क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष रिट याचिका संख्या– 10274 / 2014 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.11.2017 को आदेश पारित कर मामले को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि यह मामला आँगनवाड़ी केन्द्र– शाहपुर बाजार पूर्वी, कोड संख्या–20, पंचायत–शाहपुर, अंचल–सोनवर्षा से संबंधित है। मामले की वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपो के संबंध में महिला पर्यवेक्षिका के जाँच प्रतिवेदन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक–384 दिनांक– 05.12.2011 के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या–89 / 11–12, प्रारंभ कर अपीलार्थी को कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के साथ न तो महिला पर्यवेक्षिका का जाँच प्रतिवेदन और न ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र ही संलग्न था, जबकि नियमानुसार अपलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के निश्वत की गई जाँच की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी नोटिस प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित तिथि को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल करते हुए किसी भी तरह की अनियमितता बरते जाने से इन्कार की और तमाम आरोपों को निराधार बताया गया। सुनवाई के दरम्यान महिला पर्यवेक्षिका लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रही और आरोपों को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रही। सुनवाई के समय महिला पर्यवेक्षिका की अनुपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में भी वर्णित है। इस प्रकार आरोपों को प्रमाणित हुए बिना अपीलार्थी के सेविका पद से चयनमुक्त किये जाने का आदेश दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष इनके द्वारा इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया था कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रतिमाह पोषाहार क्रय पंजी के सत्यापन के एवज में दो हजार रूपये की मांग की जाती है और नाजायज मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण ही मुखिया से मिलकर इन्हें सेविका पद से हटाने का षडयंत्र रचा गया है। इस संदर्भ में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा को निर्देश दिया था कि सेविका द्वारा महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नूतन कुमारी पर भ्रष्टाचार के लगाये गये आरोपों का गहन जाँच कर प्रतिवेदन अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करें। लेकिन विभागीय स्तर से संरक्षण के अन्तर्गत पर्यवेक्षिका के संबंध में लगाये गये आरोपों की जाँच नहीं की गयी और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सेविका (अपीलार्थी) को ही उसके पद से हटा दिया गया, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी का पुनः कहना है कि वे 20 वर्षो तक लगातार आँगनवाड़ी सेविका के रूप मे कार्यरत रही हैं। इस 20 वर्ष की अवधि में उसके केन्द्र पर कई बार विभाग के वरीय पदाधिकारियों का औचक व नियमित निरीक्षण हुआ लेकिन कभी किसी निरक्षी पदाधिकारी द्वारा पोषाहार वितरण अथवा केन्द्र से अनुपस्थित होने संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी निरीक्षण पंजी में अंकित नहीं किया गया। इस बार मुखिया ग्राम पंचायत–शाहपुर द्वारा लगाये गये आरोप का वस्तुस्थिति यह है कि मुखियाजी के विरूद्ध कुशहा त्रासदी में हुए गृहक्षति के संबंध में इनके पति भूषण गुप्ता के द्वारा आयुक्त महोदय के समक्ष शिकायत दर्ज कराया गया था। उसी रंजीश में मुखिया ने प्रतिशोध की भावना से इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना के लाभार्थी से खाता खुलवाने के नाम पर अवैध रूप से राशि वसुलने का एक गलत व मनगढ़न्त आरोप अपीलार्थी के विरूद्ध लगाते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा से कार्यवाही की मांग की।

उक्त आरोपों की जाँच के दरम्यान महिला पर्यवेक्षिका ने कभी सेविका (अपीलार्थी) से इस संबंध में न तो कोई पूछताछ किया और न सेविका (अपीलार्थी) को अपना पक्ष रखने का मौका ही दिया गया। मुखिया के प्रभाव में आकर महिला पर्यवेक्षिका द्वारा एकतरफा जाँच प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को

सौंप दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा भी सत्यता की जाँच किये बिना जांच प्रतिवेदन को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु बढ़ा दिया गया।

महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जाँच के दरम्यान जिन दस लाभार्थियों के बयान दर्ज करने की बात कही गयी है। उन सभी लाभार्थियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो सबों ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि उनलोगों ने ऐसा कोई बयान महिला पर्यवेक्षिका के समक्ष नहीं दिया है और उनलोगों ने इस आशय का शपथ पत्र भी सेविका (अपीलार्थी) के पक्ष में बना दिया। आवेदिका द्वारा उक्त शपथ पत्र की प्रति क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलवाद के सुनवाई के समय दाखिल किया गया था। लेकिन, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी ने यह कहते हुए सभी शपथपत्रों को अस्वीकार कर दिया कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2012 को पारित आदेश के बहुत बाद की तिथियों में लाभुकों का शपथ पत्र दिया जाना "After thought" प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय एवं क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किस स्वतंत्र साक्षी के समक्ष लाभुकों का बयान दर्ज किया गया। ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर जाँच प्रतिवेदन में नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उनके समक्ष लाभुकों ने बयान देकर आरोपों को सम्पुष्ट किया है।

अपीलार्थी द्वारा अंततः कहना है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बिल्कुल निर्दोष हैं और प्रतिशोध की भावना के तहत उनके विरूद्ध गलत और निराधार आरोप लगाये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर दाखिल अपील आवेदन पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करते हुए निम्न न्यायालय के चयन मुक्ति आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य के ओर से सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर समुचित विचार करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्मत् है। निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है। इनके ओर से अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के साथ द्वितीय पक्ष राज्य के ओर से सरकारी अधिवक्ता को विस्तार से सुना। अपीलार्थी का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या 89/11–12, के अन्तर्गत निर्गत नोटिस के साथ सेविका (अपीलार्थी) के विरूद्ध महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न रहनी चाहिए या निर्गत नोटिस में अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का पूर्ण उल्लेख रहना चाहिए ताकि अपीलार्थी लगाए गए आरोप

6

से अवगत हो उसका उचित प्रतिउत्तर दाखिल कर सके। महिला पर्यवेक्षिका के जांच प्रतिवेदन में अपीलार्थी के विरूद्ध जिन 11 लोगों द्वारा आरोप लगाए जाने का जिक्र है उन्हीं में से 10 लोगों के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के समक्ष बयान नहीं देने और सेविका (अपीलार्थी) द्वारा उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के पैसा की मांग नहीं किये जाने के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में शपथ पत्र निष्पादित किया गया है, जिससे मामले की सत्यता संदेहास्पद प्रतीत होता है और इन संदेहास्पद तथ्यों के आधार पर सेविका (अपीलार्थी) को चयनमुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–89/11–12, में वर्णित आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित को भेजें। इसके साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 211 /न्याया0 सहरसा, दिनांक 01.07.20

प्रतिलिपिः– उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा को मूल अभिलेख आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 04/2012, रेणु कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को आई०सी०डी०एस० कोषांग वाद संख्या– 89/11–12, के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।